

# कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक / 1686 / स.अ.भू.अ. / 2019  
प्रति,

रायगढ़ दिनांक 20/12/2019

सचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय महानदी भवन  
नया रायपुर(छ.ग.)

विषय:- 220/130 के0व्ही0 उपकेन्द्र गेरवानी से मेसर्स इरकान हेतु प्रस्तावित टी0एस0एस0 कारीछापर तक लगभग 45 कि.मी. 132 के0व्ही0 डी0सी0 एस0 लाईन निर्माण कार्य हेतु राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत।  
संदर्भ:- छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित बिलासपुर का पत्र क्रमांक का.अ./अ.उ.दा./निर्माण/संभाग/416 बिलासपुर दिनांक 31.07.2019।

—00—

विषयातर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्राप्त पत्र में छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित बिलासपुर द्वारा 220/130 के0व्ही0 उपकेन्द्र गेरवानी में प्रस्तावित टी0एस0एस0 कारीछापर तक लगभग 45 कि.मी. लाईन निर्माण में प्रभावित होने वाले राजस्व वन भूमि जो तहसील रायगढ़ के ग्राम पाली, देलारी एवं वन कक्ष क्रमांक 881 में स्थित राजस्व वनभूमि 1.723 हे. है जो अभिलेख में छोटेझाड़, घांस व आरक्षित वन मद में दर्ज है। उक्त शासकीय भूमि के उपयोग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाही गई है। आवेदित भूमि के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ के अनुसार निम्नांकित भूमि को आवेदक कंपनी को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई है जो निम्नानुसार है।

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे० में)
1	पाली	निरंक	निरंक
2	देलारी	निरंक	निरंक
3	लाखा वन कक्ष क्रमांक 881	निरंक	निरंक
योग 3 ग्राम		-	-

अतः अनुविभागीय अधिकारी(रा.) रायगढ़ से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर प्रश्नाधीन शासकीय राजस्व वनभूमि को छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित बिलासपुर की 220/130 के0व्ही0 उपकेन्द्र गेरवानी से मेसर्स इरकान हेतु प्रस्तावित टी0एस0एस0 कारीछापर तक लगभग 45 कि.मी. तक 132 के0व्ही0 डी0सी0 एस0 लाईन निर्माण कार्य हेतु उपयोग में लाये जाने के लिये वरिष्ठ कार्यालय में आवेदन देने पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्तानुसार अनापत्ति (NOC) भेजने का तात्पर्य यह कदापि नहीं माना जायेगा कि उपरोक्त भूमि आवेदक विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया जा चुका है।

कलेक्टर,  
रायगढ़(छ.ग.)  
रायगढ़ दिनांक 20/12/2019

क्रमांक / 1686A / स.अ.भू.अ. / 2019  
प्रति-

राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित बिलासपुर को प्रस्तुत।



## कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक / 1603 / स.अ.भू.अ. / 2019  
प्रति,

रायगढ़ दिनांक 20/12/2019

सचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय महानदी भवन  
नया रायपुर (छ.ग.)

विषय :- 220/130 के०व्ही० उपकेन्द्र गेरवानी से-मेसर्स-इरकान हेतु प्रस्तावित टी०एस०एस० कारीछापर तक लगभग 45 कि.मी. 132 के०व्ही० डी०सी० एस० लाईन निर्माण कार्य हेतु राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत।

संदर्भ :- छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित बिलासपुर का पत्र क्रमांक का.अ./अ.उ.दा /निर्माण/संभाग/416 बिलासपुर दिनांक 31.07.2019।

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्राप्त पत्र में छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित बिलासपुर द्वारा 220/130 के०व्ही० उपकेन्द्र गेरवानी में प्रस्तावित टी०एस०एस० कारीछापर तक लगभग 45 कि.मी. लाईन निर्माण में प्रभावित होने वाले राजस्व वन भूमि जो तहसील तमनार एवं घरघोड़ा के ग्राम सराईपाली, भुईकुरी, हरीडीह, छर्राटांगर, अमलीडीह, बैहामुड़ा, टेरम, फगुरम, में स्थित शासकीय राजस्व वनभूमि 4.303 हे. है जो अभिलेख में छोटेझाड़, घांस व आरक्षित वन मद में दर्ज है। उक्त शासकीय भूमि के उपयोग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाही गई है। आवेदित भूमि के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा०) घरघोड़ा के अनुसार निर्णयित भूमि को आवेदक कम्पनी को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई है जो निम्नानुसार है।

क्र.	ग्राम का नाम	तहसील	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे० में)
1	सराईपाली	तमनार	भोकोदोलो, चमरा, करिया व मिलन	0.270
2	भुईकुरी	तमनार	निरंक	निरंक
3	हरीडीह	तमनार	निरंक	निरंक
4	छर्राटांगर	घरघोड़ा	निरंक	निरंक
5	अमलीडीह	घरघोड़ा	निरंक	निरंक
6	बैहामुड़ा	घरघोड़ा	निरंक	निरंक
7	टेरम	घरघोड़ा	निरंक	निरंक
8	फगुरम	घरघोड़ा	निरंक	निरंक
भाग-8 ग्राम		-	-	-

अतः अनुविभागीय अधिकारी (रा.) घरघोड़ा से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर प्रश्नाधीन  
राजकीय राजस्व वनभूमि को छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित बिलासपुर की 220/130 के0व्ही0  
पकेन्द्र गोरवानी से मेसर्स इरकान हेतु प्रस्तावित टी0एस0एस0 कारीछापर तक लगभग 45 कि.मी. तक 132  
के0व्ही0 डी0एस0 लाईन निर्माण कार्य हेतु उपयोग में लाये जाने के लिये वरिष्ठ कार्यालय में आवेदन देने  
पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्तानुसार अनापत्ति (NOC) भेजने का तात्पर्य यह कदापि नहीं माना जायेगा कि  
उपर्युक्त भूमि आवेदक विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया जा चुका है।

पृ. क्रमांक / 1603A/स.अ.भू.अ./2019  
प्रतिलिपि:-

कलेक्टर  
रायगढ़ (छ.ग)  
रायगढ़ दिनांक 20/12/2019

छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित बिलासपुर को सूचनार्थ।

कलेक्टर  
रायगढ़ (छ.ग)



# कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक /  
प्रति,

/स.अ.भू.अ./2019

रायगढ़ दिनांक / /2019

सचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय महानदी भवन  
नवा रायपुर(छ.ग.)

विषय:- 220/130 के0व्ही0 उपकेन्द्र गेरवानी से मेसर्स इरकान हेतु प्रस्तावित टी0एस0एस0 कारीछापर तक लगभग 45 कि.मी. 132 के0व्ही0 डी0एस0 एस0 लाईन निर्माण कार्य हेतु राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत।

संदर्भ:- छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित बिलासपुर का पत्र क्रमांक का.अ./अ.उ.दा/निर्माण/संभाग/416 बिलासपुर दिनांक 31.07.2019।

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। प्राप्त पत्र में छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित बिलासपुर द्वारा 220/130 के0व्ही0 उपकेन्द्र गेरवानी में प्रस्तावित टी0एस0एस0 कारीछापर तक लगभग 45 कि.मी. लाईन निर्माण में प्रभावित होने वाले राजस्व वन भूमि जो तहसील खरसिया जिला रायगढ़ के ग्राम बिंजकोट वन कक्ष क्रमांक 1183 आर. एफ. कुल प्रभावित रकबा 0.985 हे. राजस्व वनभूमि है। उक्त शासकीय भूमि के उपयोग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाही गई है। आवेदित भूमि के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खरसिया के अनुसार निम्नांकित भूमि को आवेदक कंपनी को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई है जो निम्नानुसार है:-

क.	ग्राम का नाम	तहसील	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
1	बिंजकोट	खरसिया	निरंक	निरंक

अतः अनुविभागीय अधिकारी(रा.) खरसिया से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर प्रश्नाधीन शासकीय राजस्व वनभूमि को छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित बिलासपुर की 220/130 के0व्ही0 उपकेन्द्र गेरवानी से मेसर्स इरकान हेतु प्रस्तावित टी0एस0एस0 कारीछापर तक लगभग 45 कि.मी. तक 132 के0व्ही0 डी0एस0 लाईन निर्माण कार्य हेतु उपयोग में लाये जाने के लिये वरिष्ठ कार्यालय में आवेदन देने पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्तानुसार अनापत्ति (NOC) भेजने का तात्पर्य यह कदापि नहीं माना जायेगा कि उपर्युक्त भूमि आवेदक विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया जा चुका है।

कलेक्टर

रायगढ़(छ.ग.)

पृ. क्रमांक /  
प्रतिलिपि:-

/स.अ.भू.अ./2019

रायगढ़ दिनांक / /2019

छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित बिलासपुर को सूचनाार्थ।

कलेक्टर

रायगढ़(छ.ग.)